/निगरानी/शहडोल/भू०रा/2018/0808

1— बट्टू बेवा पक्कू यादव (फौत) वारिसान

2— गंगोत्री यादव बेवा सोभनाथ

3— अयोध्या

4— मोतीलाल

5— रामजी

6— कुशल यादव

7— कौशल यादव

(3 से 6: सभी पिता पक्कू यादव)

सभी निवासी ग्राम हरदी थाना व तहसील सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0 — — — — — — — — — — — — —आवेदकगण

बनाम

1— जेठुआ पिता कुदरू बैगा

2— खजुरी उर्फ बैसाखू पिता बल्लू बैगा

3— धुन्नू पिता नानदाउ बैगा

4— शंभू पित धुन्नू बैगा

सभी निवासी ग्राम हरदी थाना व तहसील सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0 — — — — — — — — — — — — —अनावेदगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय श्रीमान् अपर कलेक्टर शहडोल के द्वारा पारित राजस्व प्रकरण क्रमांक— 250 निगरानी 2011—12 पारित आदेश दिनांक— 30.11.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा—50 भू0रा0सं0—1959

मान्यवर,

आवेदकगण निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि:—

निगरानी का संक्षेप

1— यहकि ग्राम हरदी की आराजी खसरा नं0— 81 जुज रकवा 1.619 हे0 का भूमि स्वामी तहसीलदार सोहागपुर के द्वारा अधिनयम 1984 के अन्तर्गत वर्ष— 18.5.1978 को भूमि स्वामी आवेदकगणों के पिता पक्कू यादव के नाम घोषित किया गया था तब से निरंतर आवेदकगण काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे पक्कू यादव फौत हो चुका है आवेदक गण पक्कू यादव के वारिस है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/शहडोल/भू.रा./2018/0808 बट्टू विरूद्ध जेठुआ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर शहडोल के प्रकरण क्रमांक 250/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 30-11-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 30-01-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

10.1.19

(आर.के. जैन)
सदस्य